समक्ष: न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्र0– A-107/–III/15

दिलीप कुमार कटारे पिता श्री स्व. संतराम कटारे
आयु 64 वर्ष, निवासी– एम.आर.–4, मार्ग, 28–बी,
एकता नगर, तह. व जिला जबलपुर म.प्र. ——— आवेदक/अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर डिण्डौरी जिला डिण्डौरी
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला डिण्डौरी म.प्र.
3. तहसीलदार जिला डिण्डौरी म.प्र.
4. अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर म.प्र.

——— अनावेदक/प्रत्यर्थीगण

आर.डी. शुक्ला अभि. द्वारा आज दि. 9/1/15 को

अपील अंतर्गत धारा 44 भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर कलेक्टर डिण्डौरी द्वारा प्रकरण क्रमांक– 32(अ–21) –11–12 में पारित आदेश दि0 5.9.2012 से परिवेदित होकर अति. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, अति. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय से आदेश में अपील ग्राह्य योग्य ना होने के कारण दि0 25.9.2013 को अपील अस्वीकार कर दी गयी अतः अपीलार्थी यह अपील राजस्व मंडल के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

अपीलार्थी माननीय न्यायालय से सविनय प्रार्थना करता है कि :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि, अपीलार्थी की स्वामित्व की भूमि जो कि वार्ड नं0 5, प.ह. नं0 33/67, राजस्व निरीक्षक मंडल–डिण्डौरी, तह. व जिला डिण्डौरी में स्थित है जिसका खसरा नं0–1–1–घ, 1–1–क, 1–1–ग, 1–1–ब, 1–1–स, 3/1, कुल एरिया 1458 वर्गफुट है जो आधा एकड़ का एकात्र

दिलीप कुमार कटारे विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– अपील 107–तीन/14 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 222/अ–21/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेपक में इस प्रकार हैं कि आवेदक भूमि वार्ड नंबर 5 जिला डिण्डोरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है । उसके द्वारा उक्त भूमि के विकय की अनुमति हेतु संहिता की धारा 165(6) (क) के तहत एक आवेदन कलेक्टर जिला डिण्डोरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 5–9–12 द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वाना अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने जिन आधारों पर भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है वह विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि आवेदक के स्वामित्व की कुल भूमि एक एकड़ से कम है जिससे उसे कालोनाईजर लायसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय ने भी आदेश पारित करने में त्रुटि की है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त अन्य और चार व्यक्तियों को छोटे–छोटे भूखंडों के विकय की अनुमति चाही गई है जिसके प्रकरण तहसील डिण्डोरी के न्यायालय में लंबित है और उक्त कारण से उन्होंने मध्यप्रदेश नगरपालिका कालोनाईजर, रजिस्ट्रीकरण निबंधन शर्तों निचयम 1998 का उल्लंघन होना मानते हुए आवेदक का आवेदन खारिज किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष उक्त बिंदु के संबंध में ना तो निगरानी आवेदन में और ना ही तर्कों में प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि को छोटे–छोटे टुकड़ों के द्वारा विकय न किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते हैं । सदस्य	